रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1186] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2005/कार्तिक 20, 1927

No. 1186] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2005/KARTIKA 20, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2005

का.आ. 1593(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के संकल्प सं. 8/35/2005-ई.एस., तारीख 11 नवम्बर, 2005 के अनुसरण में निश्चित सार्वजनिक महत्त्व के कतिपय विषयों की, जो उक्त संकल्प में विनिर्दिष्ट निर्देश निबंधनों में उपवर्णित है, जड़ तक पहुंचने के लिए, 'न्यायमूर्ति आर.एस.पाठक जांच प्राधिकरण' के रूप में नामित एक प्राधिकरण की स्थापना की जाती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के उपबंध उक्त प्राधिकरण को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त प्राधिकरण को लागू होंगे।

उपाबंध

जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60)

क्रम सं.	अधिनियम के उपबंध
(1)	(2)
1.	धारा 3 की उप-धारा (4)
2.	धारा 4
3.	धारा 5 की उप-धारा (2)
4.	धारा 5 की उप-धारा (3)
5.	धारा 5 की उप-धारा (4)
6.	धारा 5 की उप-धारा (5)
7.	धारा 5क
8.	धारा 6
9.	धारा 9
10.	धारा 10
11.	धारा 10क

[फा. सं. 8/35/2005-ई.एस.]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2005

S.O. 1593(E).—Whereas in pursuance of the Resolution of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Number 8/35/2005-E.S., dated the 11th November, 2005, an Authority named as the Justice R.S. Pathak Inquiry Authority has been set up to go into the root of certain matters of definite public importance as set out in the terms of reference specified in the said Resolution;

And whereas the Central Government is of the opinion that the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) specified in the Annexure to this

notification should be made applicable to the said Authority.

Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 11 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act specified in the Annexure to this notification shall apply to the said Authority.

ANNEXURE

The Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952)

Serial Number	Provision of the Act
(1)	(2)
1.	Sub-section (4) of Section 3
2.	Section 4
3.	Sub-section (2) of Section 5
4.	Sub-section (3) of Section 5
5.	Sub-section (4) of Section 5
6.	Sub-section (5) of Section 5
7.	Section 5A
8.	Section 6
9.	Section 9
10.	Section 10
11.	Section 10A.

[F. No. 8/35/2005-E.S.]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.